ई-1738516

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2023

विषय:- जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-26335/सामा-1(7)/गाजीपुर/बंदी स्था0/2023, दिनांक 21-08-2023 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118, सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध निम्नलिखित 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम , जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
1	सरफराज उर्फ मुन्नी पुत्र श्री मो0 करीम	जिला कारागार, गाजीपुर	जिला कारागार, बस्ती
2	अनवर शहजाद पुत्र श्री जमशेद रजा	जिला कारागार, गाजीपुर	जिला कारागार, सोनभद्र
3	जफर उर्फ चन्दा पुत्र श्री मो0 नजर	जिला कारागार, गाजीपुर	जिला कारागार, संतकबीर नगर
4	अमित राय पुत्र श्री रामप्रवेश राय	जिला कारागार, गाजीपुर	जिला कारागार, कानपुर देहात
5	जाकिर हुसैन पुत्र श्री सफाउत हुसैन	जिला कारागार, गाजीपुर	जिला कारागार, उरई, जालौन

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-572/पीएसएच/2023, दिनांक 17-08-2023 के संदर्भ में।

4- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

5- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर/बस्ती/सोनभद्र/संतकबीर नगर/कानपुर देहात/जालौन।

6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर/बस्ती/सोनभद्र/संतकबीर नगर/कानपुर देहात/जालौन।

7- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, गाजीपुर से सम्बन्धित कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती/सोनभद्र/संतकबीर नगर/कानपुर देहात/जालौन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in